संख्या- 16 /2019/3540 /अड़तीस-5-2019-11 बजट/2018

प्रेषक,

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 06 दिसम्बर, 2019

विषयः वित्तीय वर्ष 2019-20 में 'मुख्यमंत्री आर0ओ0 पेयजल योजना' के क्रियान्वयन हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में। (अनुदान संख्या-13)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 03/ ई-2 /2018-19 दिनांक 05 अप्रैल, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में 'मुख्यमंत्री आर0ओ0 पेयजल योजना' के अन्तर्गत प्रदेश के बस्ती एवं गोरखपुर मण्डल के 07 जनपदों के जे0ई0/ ए0ई0एस0 प्रभावित क्षेत्रों तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदों के सरकारी प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालयों अर्थात कुल 14 जनपदों के 28041 विद्यालयों में अल्ट्राफिल्ट्रेशन तकनीक पर आधारित 28041 जल शोधन संयत्र स्थापित करने हेतु ₹ 7010.25 लाख के व्यय होने का उल्लेख करते हुए अनुदान संख्या- 13 में ₹ 1975.00 लाख (रूपये उन्नीस करोड पचहत्तर लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वितीय वर्ष 2019-20 में 'मुख्यमंत्री आर0ओ0 पेयजल योजना' के अन्तर्गत प्रदेश के बस्ती, गोरखपुर मण्डल के 07 जनपदों तथा बुन्देलखण्ड के 07 जनपदों के सरकारी प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अल्ट्राफिल्ट्रेशन तकनीक पर आधारित जल शोधन संयत्र स्थापित किये जाने हेतु कुल ₹ 1975.00 लाख (रूपये उन्नीस करोड पचहत्तर लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति योजनान्तर्गत निम्नलिखित विवरण / शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैः-

(1) योजना का क्रियान्वयन शासनादेश संख्या-2337/अडतीस-5-2018-72 सम/2015 दिनांक 03 जुलाई, 2018 द्वारा जारी 'मुख्यमंत्री आर0ओ0 पेयजल योजना' के दिशा-निर्देशों के अनुसार कराया जायेगा।

(2) योजना का क्रियान्वयन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश द्वारा कराया जायेगा।

(3) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि की स्वीकृति नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना/परियोजना के अन्तर्गत अनुमोदित कार्ययोजना में सम्मिलित है।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय किये जाने का दायित्व वित्तीय सलाहकार, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय व निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व वित्तीय सलाहकार, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें व्याज अर्जित होता है, तो अर्जित व्याज के नियमानुसार समायोजन / निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व वित्तीय सलाहकार, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वितीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा। किसी मद में कोई धनराशि शेष बचती है, तो उसे निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा किया जायेगा।

(8) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिस निमित्त स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय स्वीकृति की सीमा तक सीमित होगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री, उपकरण आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय सम्बन्धी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(10)धनराशि के आहरण के सम्बन्ध में मितव्ययता सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11)उक्त वित्तीय स्वीकृति में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस- 2019-231/ 2019 दिनांक 22.03.2019 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए उसके अनुसार कार्यवाही / अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(12)स्वीकृत धनराशि में निर्माण कार्य सम्मिलित होने पर उक्त पर व्यय निर्माण सम्बन्धी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/ मानकों के अधीन किया जायेगा तथा धनराशि आवश्यकतानुसार चरणों में उपलब्ध करायी जायेगी।

(13)योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(14)प्रश्नगत कार्यो के लिए नियमानुसार 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को नियमानुसार भुगतान की जायेगी।

(15)अवमुक्त धनराशि का निर्धारत प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, इलाहाबाद/ ग्राम्य विकास विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(16)धनराशि का व्यय गुणवत्ता, विशिष्टियों एवं मानक के अनुरूप हों, इसके लिए अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा अनवरत रूप से सर्वेक्षण एवं अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

2- शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में तैनात वित्त नियंत्रक/ वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्यक के अनुदान संख्या-013 के लेखाशीर्षक 4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूजीगत परिव्यय -01-जलपूर्ति-102-ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम-07 मुख्यमंत्री आर0ओ0 पेयजल योजना -24-बृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू.ओ.ई-2-1009 /दस-2019 दिनांक 03 दिसम्बर 2019 के अन्तर्गत् जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्याः 16 /2019/ 3560 (1)/अड़तीस-5-2019-11 बजट/2018, तद्दिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय , उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) नियोजन अनुभाग-4
(6) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2।
(7) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव।